राजभाषा कार्यान्वयन के लिए
'निदेशक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना'

संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए निदेशक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस पुरस्कार योजना के सामान्य नियम इस प्रकार हैं –

1. पुरस्कार योजना के लिए निर्धारित अवधि - **01 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021** तक।
2. पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो वर्गों के लिए एक-एक पुरस्कार दिया जाएगा – 1) प्रशासनिक एवं सहयोग सेवाएं (गैर-आरएंडडी) वर्ग तथा 2) वैज्ञानिक एवं तकनीकी (आरएंडडी) वर्ग।
3. प्रशासनिक एवं सहयोग सेवाएं वर्ग (गैर-आरएंडडी) के अंतर्गत आरएंडडी प्रभागों को छोड़कर बाकी सभी अनुभाग एवं प्रभाग शामिल होंगे।
4. इच्छुक अधिकारी को पुरस्कार योजना के लिए **निर्धारित प्रारूप** में आवेदन करना होगा। उसे संस्थान के द्वारा निर्दिष्ट कार्यों, दायित्वों आदि के संदर्भ में रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी देनी होगी।
5. पुरस्कार योजना में प्रतिभागिता के लिए किसी अनुभाग या प्रभाग प्रमुख की ओर से अग्रेषित प्रविष्टियां ही मान्य होंगी। अधिकारी के हिंदी में कार्य की मात्रा या उसके कार्य की गुणवत्ता की दृष्टि से प्रभागीय/ अनुभागीय प्रमुख की ओर से लगभग 200 शब्दों में उसके योगदान का विवरण भरा जाएगा जिसके अंतर्गत प्रारूप के निर्धारित मापदंडों पर बिंदुवार स्पष्ट विवरण एवं इनपर टिप्पणी दी जाएगी। निष्पादित कार्यों में हिंदी कार्य की मात्रा/प्रतिशत, संपन्न कार्यों की विविधता/नवीनता, अनुभाग/प्रभाग की गतिविधियों के अंतर्गत हिंदी के प्रचार में योगदान आदि बिंदुओं का प्राथमिकता से मूल्यांकन किया जाएगा।
6. किसी भी कार्मिक को एक बार पुरस्कार मिलने पर अगली बार वह अधिकारी भाग तो ले सकता है लेकिन अगले दो वर्षों तक वह पुरस्कार के लिए पात्र नही होगा। तीसरे वर्ष के मूल्यांकन में पिछले दो वर्ष में किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा जिसके लिए तीन वर्ष (पिछले दो वर्ष + वर्तमान वर्ष) में अधिकारी को प्राप्त मूल्यांकन के औसत अंकों के आधार पर पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा।
7. पुरस्कार योजना के लिए अधिक प्रविष्टियां प्राप्त होने पर समिति प्रत्यक्ष मूल्यांकन कर सकती है।

कृपया ध्यान दें -

- विजेता अधिकारियों को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में **रु. 2500/-** की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
- आवेदन प्रपत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर इसे अपने प्रमुख की टिप्पणी के साथ अग्रेषित करवा कर **दिनांक 17.09.2021 तक राजभाषा अनुभाग को भेज दें।**
- प्रारूप के सभी मद भरे जाने एवं सबंधित दस्तावेजों की फोटोप्रतियां लगाई जानी आवश्यक हैं।
- निर्धारित स्थान पर प्रमुख की टिप्पणी एवं हस्ताक्षर होना तथा आवेदन को अग्रेषित किया जाना जरूरी है। ऐसा न होने पर प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।